तीन में से कम से कम एक बल्लेबाज हो सकता है बाहर

द.अफ्रीका से हार के बाद टीम मैनेजमेंट सख्त आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज पर फैसला जल्द

एजेंसी ▶▶ अहमदाबाद

भारतीय टीम प्रबंधन खराब फॉर्म में चल रहे तीन में से कम से कम एक बल्लेबाज को बाहर कर सकता है जबकि शीर्षक्रम में कई खब्बू बल्लेबाजों को उतारने की अपनी रणनीति को भी समीक्षा करेगा।

मुख्य कोच गौतम गंभीर के सहयोगी रियान टेन डोइशे और सितांशु कोटक ने यह संकेत दिए। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप सुपर आठ मुकाबले में भारत को 76 रन से हराया। अब भारत को अगले दौनों मैच जीतने होंगे लिहाजा टीम प्रबंधन को अभिषेक शर्मा (चार मैचों में 15 रन) और तिलक वर्मा (पांच मैचों में 107 रन) के प्रदर्शन पर विचार करना होगा। रिंकू सिंह भी फिनिशर की भूमिका नहीं निभा सके हैं और 29 गेंदों में 82.75 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए हैं।बल्लेबाजी कोच कोटक ने कहा,' अगर मुख्य कोच और टीम प्रबंधन को लगता है कि हमें कुछ अलग करना होगा तो हम करेंगे। अब इस पर विचार हो रहा है कि अगर हमें बदलाव करना है तो वह क्या होगा और कैसे होगा।' उन्होंने कहा,' अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें यह सोचना होगा कि कुछ अलग करना है या उसी संयोजन से काम करना है।'

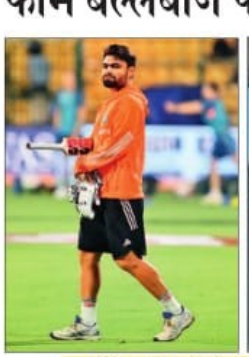

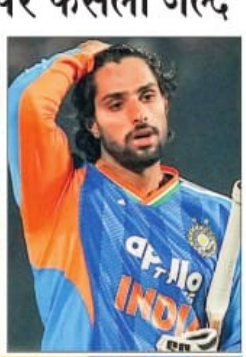

अभिषेक की तैयारियों पर पड़ा असर

कोटक ने कहा कि अभिषेक और तिलक का फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, 'मैं अभि या तिलक के लिए बहाना नहीं बनाऊंगा। उन्हें बहानों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पेट के संक्रमण ने अभिषेक की तैयारियों पर काफी असर डाला है और वह कैसे नहीं खेल पा रहा जैसे खेलना चाहिए था। यह पूछने पर कि उसे क्या सलाह देंगे, कोटक ने कहा,' बल्लेबाजी कोच होने के नाते मेरा मानना है कि उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देने से उसका आत्मविश्वास हिल सकता है। उसे अभी तेंदुल्कर को देखकर अपनी पारी को बेहतर बनाना होगा'

आईजीपीएल देगा 10 करोड़ डॉलर की फ्रेंचाइजी

नई दिल्ली। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) ने देश भर के 10 फ्रेंचाइजी साझेदारों से 10 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिसमें प्रत्येक निवेशक ने 10 साल की अवधि में लगभग एक करोड़ डॉलर देने का वादा किया। यह खेल को पेशेवर बनाने और इसके विस्तार के लिए लंबे समय तक चलने वाले प्रयास का संकेत है। आईजीपीएल ने पिछले साल अपना पहला पेशेवर टूर आयोजित किया था जिसमें 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें 54 होल की प्रश्चित स्पर्धाएं और रहित प्रारूप में खेली गईं। प्रत्येक टूर्नामेंट की इनामी राशि डेढ़ करोड़ रुपए थी। इस टूर में भारत, दुबई और कोलंबो में प्रतियोगिताएं हुईं थीं। आईजीपीएल ने पिछले साल जुलाई में एक शहर आधारित फ्रेंचाइजी लीग की योजना की घोषणा की थी, जो शुरू में जनवरी-फरवरी के लिए तय थी।

UCO BANK
Zonal Office, Telibandha, Raipur (C.G.)
Email: zonalpur.rec@ucobank.co.in

Empanelment of Recovery Agent / Enforcement Agent

Applications from eligible Individuals/Institutions/Agencies /LLP/Companies etc. are invited for "Empanelment as Recovery Agent/Enforcement Agent" for our **Zonal Office Raipur** and Branches under **Zonal Office Raipur**. The eligible applicants can submit an advance copy of their application and other required documents at UCO Bank, Zonal Office, Raipur latest **by or within 05.00 PM on 27.02.2026** For eligibility and other details, please visit our website: **https://www.uco.bank.in** under "Tender/Notices".

Zonal Manager
Date: 21.02.2026 Zonal Office Raipur

भारत को परिस्थितियों के अनुसार खेलना चाहिए : आशुतोषकर विजय बल्लेबाज कुलदीप यादव का मानना है कि भारत को घरेलू जमीनों के विशेषज्ञ खेले तथा टी20 विश्व कप के बीच में जमके लेकर अपने अंदर का स्वाद कायम चाहिए और और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरकर हर गेंद को खाड़ी लाइन के बाहर भेजने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार खेलना चाहिए।

pnb पंजाब नैशनल बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)
ई-नीलामी तिथि - 17.03.26 एवं 27.03.26
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

निम्नांकित अचलों के प्रतिभूतिकरण तथा पूर्वनिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानाभाव/भौतिक/सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की बिक्री "जहां है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमों में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारों से वसूली के लिए किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समक्ष दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

क्र.	साखाशाखा का नाम / उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम व पता / शाखा का नाम	बैंक धन/अचल संपत्तियों का विवरण / भौतिक का नाम	1) दा(ए) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) कब्जा तारीख 3) कब्जा तिथि तारीखें तथा 2022 के नियम 12(4) के उप	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहरी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि -(लाख)/- प्रतिष्ठित संपत्ति के लिये
1	उधारकर्ता: मेसर्स डेल्यूक फूड्स एंड बेवरेजेस (इकिया) प्राइवेट लिमिटेड,उपाध्यक्षा: श्री बालकृष्ण विक्रम पिता श्री हिरेन्द्र प्रसाद सिंह, श्रीमती पाया जीसल पति श्री बालकृष्ण विक्रम श्री सोमशिव कोसल पति श्री राजकमल श्रीमती बैसाखिन बाई कोसल पति श्री रामकमल कोसल, शाखा- रायपुर, स्टेशन रोड (106600) संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती पुष्पांजली कुलदीप, 7632866606	संपत्ति क्रमांक 1) औद्योगिक भूमि एवं भवन - खसरा नंबर 65/04, ए.ह नंबर 19, ग्राम- टेकापाल, टेकापाल, जिला- बलौदा, छत्तीसगढ़, पिन- 491226, क्षेत्रफल- 15,089.14 वर्गमीटर, मालिकाना हक- श्रीमती सुषमा कोसल पति श्री बालकृष्ण विक्रम, सीमाएं- उत्तर: शांति बाई की संपत्ति, दक्षिण: सड़क, पूर्व: कमुदी की संपत्ति, पश्चिम: सुषमा कोसल की संपत्ति, भौतिक निरीक्षक: 20.768045, 81.257096, संपत्ति क्रमांक 2) औद्योगिक भूमि - खसरा नंबर 65/0, ए.ह नंबर 19,ग्राम- टेकापाल, टेकापाल, जिला- बलौदा, छत्तीसगढ़, पिन-491226, क्षेत्रफल- 19,481.226, क्षेत्रफल: 15,089.14 वर्गमीटर, मालिकाना हक- श्रीमती सुषमा कोसल पति श्री बालकृष्ण विक्रम, सीमाएं- उत्तर: शांति बाई की संपत्ति, दक्षिण: सड़क,पूर्व: कमुदा की संपत्ति, पश्चिम: हरेश की संपत्ति, भौतिक निरीक्षक: 20.768045, 81.257096, संपत्ति क्रमांक 3) प्लाट व मशीनरी के साथ औद्योगिक शेड - खसरा नंबर 65/04, ए.ह नंबर 19,ग्राम- टेकापाल, टेकापाल, जिला- बलौदा, छत्तीसगढ़, पिन- 491226, मालिकाना हक- मेसर्स डेल्यूक फूड्स एंड बेवरेजेस (इकिया) प्राइवेट लिमिटेड, भौतिक निरीक्षक: 20.768045, 81.257096, **नोट: संपत्ति क्र. 1, 2 एवं 3 को संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी। नोट : प्रकरण क्रमांक एसए-348/2022 डीआरटी जबलपुर में लंबित है.**	1) 03.02.2020 2) रू 2,48,44,000.00 + दिनांक 31.01.2020 से ब्याज प्रभावी 3) 30.06.20 को सांकेतिक कब्जा	रू 111.55 लाख / रू 11.16 लाख / रू 11.53 लाख / रू 1.16 लाख / रू 42.71 लाख / रू 4.28 लाख
2	उधारकर्ता: मेसर्स राजेश्वरी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड,निदेशकों: श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री लक्ष्य अग्रवाल, जमानतदारों : श्री राजेश अग्रवाल, श्री लक्ष्य अग्रवाल एवं श्रीमती निर्मला देवी, बंधककर्ता : मेसर्स राजेश्वरी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, शाखा-उपनगर पोस्ट, रायपुर, 6339003, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पंकज कुमार, 9770786608	प्लॉट नंबर 499/2, सेक्टर नंबर 34 , औद्योगिक क्षेत्र, उरला, तहसील व जिला - रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल - 11,935 वर्ग मीटर का 0.28 एकड़** पर स्थित **प्लांट व मशीनरी, भूमि एवं भवन** का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- मेसर्स राजेश्वरी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड सीमाएं (लीज डीड के अनुसार) :- उत्तर - सेक्टर नं 33, दक्षिण- सेक्टर नं 35, पूर्व- 40' चौड़ी सीएसआईडीसी सड़क, पश्चिम - निजी भूमि। भौतिक निरीक्षक: 21.308187, 81.609372	1) 05-12-2024 2) रू 1,45,59,853.73 + दिनांक 05.12.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 05.04.25 को सांकेतिक कब्जा	रू 106.76 लाख / रू 10.68 लाख
3	उधारकर्ता : मेसर्स श्री कृष्णा सुपर बाजार, प्रो.- श्री योगेश कुमार गोयल, उपाध्यक्षा एवं बंधककर्ता- श्री रमन गोयल व श्रीमती मोनिका गोयल, शाखा- तेलीबांधा, रायपुर (611400), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	संपत्ति क्रमांक 1) व्यावसायिक दुकान - खसरा नं 825/4-7, 825/11, ब्लॉक-ए, भूतल, श्री कृष्णा अपार्टमेंट, एलआईजी कॉलोनी रोड, गोंदा, भौगवान अंबेडकर वार्ड नंबर 27 के ऊपर, ए.ह नंबर 109, आरएनएम - रायपुर 1, तहसील व जिला - रायपुर में **क्षेत्रफल- 1457 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री रमन गोयल सीमाएं: उत्तर:गली, दक्षिण- खुला क्षेत्र, पूर्व- खुला क्षेत्र, पश्चिम- डी.व्हीके कपाडिया। भौतिक निरीक्षक- 21.236867,81.643970, संपत्ति क्रमांक 2) फ्लैट- फ्लैट नंबर 1, बेसमेंट नंबर सी, भूतल, खसरा नंबर 869, ए.ह नं 109, संस्कृति भवन, गोयल सिटि कॉम्प्लेक्स, गोंदा, **क्षेत्रफल 2604.00 वर्गफुट**, श्री. भौगवान अंबेडकर वार्ड नम्बर 27, रायपुर (छ.ग.) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक-श्रीमती मोनिका गोयल। सीमाएं: उत्तर- सड़क,दक्षिण- सीढ़ी व लिफ्ट,पूर्व- पश्चिम,पश्चिम- खुला क्षेत्र। भौतिक निरीक्षक- 21.267408, 81.674441	1) 18-06-2022 2) रू 1,33,54,905.00 + दिनांक 18-06-2022 से ब्याज प्रभावी 3) 18-09-22 को सांकेतिक कब्जा	रू 25.48 लाख / रू 2.54 लाख / रू 36.13 लाख / रू 3.61 लाख
4	उधारकर्ता- मेसर्स ओम श्री कृपाल, प्रोप.- श्री स्नेहिल गोयल पिता श्री संजीव कुमार अग्रवाल, शाखा - तेलीबांधा, रायपुर-611400, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	व्यवसायिक प्लाट - खसरा 519 एवं 520, ए.ह. नंबर 31, ए.ह. नंबर 26/48 , ग्राम- केवरा, आरएनएम खरोरा, तहसील-तिल्दा, जिला- रायपुर छ.ग. में **क्षेत्रफल - 0.486 हेक्टेयर (52312.60 वर्गफुट)** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री स्नेहिल गोयल पिता श्री संजीव कुमार अग्रवाल, सीमाएँ- उत्तर: धारसा रोड एवं कृषि उपज मंडी की भूमि, दक्षिण: कृष्णा देवांगन की भूमि, पूर्व: धारसा रोड एवं कृषि उपज मंडी की भूमि, पश्चिम: हर्षगेवल की भूमि। भौतिक निरीक्षक- 21.393303,81.931549	1) 11.05.2021 2) रू 3,38,59,920.00 + दिनांक 31.03.2021 से ब्याज प्रभावी 3) 09.09.21 को भौतिक कब्जा	रू 144.06 लाख / रू 14.40 लाख
5	उधारकर्ता: श्री सुदीप सेन पिता स्व. सतेन्द्र नाथ सेन, सह-उधारकर्ता: श्रीमती गीता सेन पति श्री सुदीप सेन, शाखा- रायपुर, अमृतधन नगर (296600), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय मकान - खसरा नंबर 250 का भाग, प्लॉट नंबर 55/2, गली नंबर 53,पंडितलाई, गोरखा कॉलोनी, **शंकर नगर**, वार्ड नंबर 31, ए.ह नंबर 109/47, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन-492001 में **क्षेत्रफल - 1100 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती गीता सेन पति श्री सुदीप सेन एवं श्री सुदीप सेन पिता स्वर्गीय सतेन्द्र नाथ सेन। सीमाएँ:-उत्तर: प्लॉट न 55/1, दक्षिण: श्रीवास्तव की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: किशोर की भूमि, भौतिक निरीक्षक: 21.253670, 81.657499	1) 09-07-2024 2) रू 55,50,257.92 + दिनांक 30.06.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 25.09.24 को सांकेतिक कब्जा	रू 55.41 लाख / रू 5.54 लाख
6	उधारकर्ता - अमर ईसरानी पिता स्व. एल एम ईसरानी, सह -आवेदक- श्रीमती मोनिका ईसरानी पति श्री अमर ईसरानी. शाखा- अमृतधन नगर, रायपुर, 296600, संपर्क : वसूली अधिकारी- श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय प्लॉट: प्लॉट नं बी-102, इमन कुंज, ईस पार्क कॉम्प्लेक्स, गौरव-नू पुरैना, खसरा नं. 247/5 (भाग), ए.ह.नं. 113, **महावीर नगर**, रायपुर में **क्षेत्रफल 861 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति। मालिकाना हक- श्री अमर ईसरानी पिता स्व. एल एम ईसरानी. सीमाएं:- उत्तर- प्लॉट नं. ए-102, दक्षिण-आवागमन की ओर खुला, पूर्व- प्लॉट नं. बी-101 एवं मार्ग,पश्चिम-आवागमन की ओर खुला, भौतिक निरीक्षक: 21.231028, 81.669056	1) 07-06-2021 2) रू 24,31,830.00 + दिनांक 07-06-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 12-02-24 को भौतिक कब्जा	रू 18.96 लाख / रू 1.89 लाख
7	उधारकर्ता - मेसर्स गुप्ता पंच हाउस, प्रो.- श्री वितीष गुप्ता पिता श्री घनश्याम गुप्ता, शाखा: बोरसी (205910) शाखा-रायपुर,अमृतधन नगर(296600), संपर्क : वसूली अधिकारी- श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय प्लॉट - खसरा नं. 82/1, ए.ह नंबर 18/25, विश्वास पारा, कवारडीह, दुर्ग में प्लॉट का **क्षेत्र -1305 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री वितीष गुप्ता पिता श्री घनश्याम गुप्ता। सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: विक्रेता (सांतोष देवी सोठिया) की शेष भूमि, पूर्व: अन्य का मकान, पश्चिम: विक्रेता (सांतोष देवी सोठिया) की शेष भूमि। भौतिक निरीक्षक: 21.179296,81.372357	1) 26-04-2017 2) रू 15,72,942.00 + ब्याज प्रभावी 3) 06.07.17 को सांकेतिक कब्जा	रू 19.96 लाख / रू 1.99 लाख
8	उधारकर्ता- मेसर्स महादेवा इन्फोटेक एंड आर्टिटी सोल्यूशंस, प्रोप.- श्रीमती स्वाति साहू पति श्री लोकन कुमार साहू, शाखा - भिलाई बैरन-219410, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493	खसरा नंबर 855/10, ए.ह. नंबर 22, ग्राम- सिलतरा,कलौद, तहसील- पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल 6000 वर्गफुट पर स्थित आवासीय खाली भूमि, मालिकाना हक- श्रीमती स्वाति कुमारी पति श्री लोकन कुमार साहू। सीमाएं: उत्तर- खसरा नं. 823/2, दक्षिण- खसरा नं. 855/2, पूर्व- खसरा नं. 856, पश्चिम- 25 फीट रोड, भौतिक निरीक्षक- 21.194888, 81.451067	1) 29.01.2025 2) रू 36,22,513.38 + दिनांक 29.01.2025 से ब्याज प्रभावी 3) 07.08.25 को सांकेतिक कब्जा	रू 18.90 लाख / रू 1.89 लाख

संख्या क्रमांक 9 से 12 के लिए: ई-नीलामी तिथि- 27/03/2026 एवं समय- सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

9	उधारकर्ता -मेसर्स जीसीसी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक (ओ) - श्री योगेश कुमार गोयल, श्री सुरेश कुमार गोयल व सुश्री सरिता गोयल एवं जमानतकर्ता- श्री रमन गोयल, श्रीमती मोनिका गोयल एवं श्रीमती कौशल्या गोयल, शाखा-बेरमी (रायपुर) - 152520, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती पुष्पांजली कुमारी, 7632866606	संपत्ति क्रमांक 1) आवासीय प्लॉट - प्लॉट नंबर सी-08, प्रथम तल, कृष्णवन गार्डन, खसरा नं 728/1-2-3, 731/3-4 (भाग), **क्षेत्रफल - 1280 वर्गफुट** ए.ह.नं 109, गोंदा- **दल्लहा सिमनी**, कुशाग्रराज ठाकरे वार्ड क्रमांक 26, आरएनएम रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर मालिकाना हक - श्री रमन गोयल। सीमाएं: - उत्तर: खुला क्षेत्र, दक्षिण: गलियारा, पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: प्लॉट सी-07। भौतिक निरीक्षक- 21.278604, 81.676943 संपत्ति क्रमांक 2) आवासीय प्लॉट - प्लॉट नंबर ई-405, श्रीजी मंजिल, कृष्णवन गार्डन, खसरा नं 728/1-2-3, 731/3-4 (भाग), **क्षेत्रफल - 1257.41 वर्गफुट**, ए. ह नं 109, गोंदा- **दल्लहा सिमनी**, कुशाग्रराज ठाकरे वार्ड क्रमांक 26, आरएनएम रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग.) मालिकाना हक - मेसर्स जीसीसी फूड इंडस्ट्रीज. सीमाएं: उत्तर: खुला क्षेत्र, दक्षिण: गलियारा, पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: प्लॉट नंबर सी-07। भौतिक निरीक्षक- 21.278604, 81.676943 संपत्ति क्रमांक 3) आवासीय भूमि - खसरा नं 731/1 का क्षेत्र - (0.079 हेक्टेयर) एवं खसरा नं 731/2 का क्षेत्र - (0.078 हेक्टेयर), कुल क्षेत्रफल - 0.157 हेक्टेयर, ए. ह नं 109, प्रस्तावित ए. ह नं 39, गोंदा - उदयदल सिमनी, कुशाग्रराज ठाकरे वार्ड क्रमांक 26, आरएनएम - रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग.) मालिकाना हक - मेसर्स रोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर श्री रमन गोयल के माध्यम से। सीमाएँ: - उत्तर: जीसी बाबरी, दक्षिण: क्षेत्र की भूमि, पूर्व: डम्पयूवीएम रोड, पश्चिम: नाला। भौतिक निरीक्षक- 21.278970, 81.677311	1) 02-02-2023 2) रू 4,44,69,975.25 + दिनांक 31-01-2023 से ब्याज प्रभावी 3) 13-02-25 को भौतिक कब्जा	रू 38.70 लाख / रू 3.87 लाख / रू 37.80 लाख / रू 3.78 लाख / रू 229.70 लाख / रू 22.97 लाख
10	उधारकर्ता - मेसर्स राधा कृष्ण फ्यूएल, प्रोप: श्री राकेश कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री प्रहलाद राय अग्रवाल व बंधककर्ता एवं जमानतदार- स्वर्गीय श्री प्रह्लाद राय अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी, शाखा- पेंड्रा, 610300, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश सिन्हा, 9630007487	खसरा नं. 49/06, ग्राम: सकोला, तहसील: सकोला, पेंड्रा, जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.) में **क्षेत्रफल: 9573 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री राकेश अग्रवाल पिता स्वर्गीय प्रह्लाद अग्रवाल। सीमाएं: :- उत्तर- हरि प्रसाद की भूमि, दक्षिण - पेंड्रा मरवाही रोड, पूर्व - राधा कृष्ण फ्यूएल- पश्चिम - उपाध्यायी राकेश कुमार की भूमि, भौतिक निरीक्षक: 22.816357,82.069253	1) 07-06-2023 2) रू 91,36,219.39 + ब्याज प्रभावी 3) 08-10-25 को सांकेतिक कब्जा	रू 43.00 लाख / रू 4.30 लाख
11	उधारकर्ता-मेसर्स जय माता दी राइस प्रोडक्ट्स, प्रोप: श्री योगेश साहू पिता श्री इंद्रमणि साहू, जमानतदार/बंधककर्ता: श्री जादुराम साहू पिता श्री इंद्रमणि साहू, शाखा- नैला चांपा, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493	संपत्ति क्रमांक 1) भूमि एवं भवन - खसरा नंबर 1659/1, चांपा से नवागढ़ रोड, **ग्राम-पिसौद**, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) में **प्लॉट का क्षेत्रफल 10900.00 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री योगेश साहू एवं श्री जादुराम। सीमाएँ: उत्तर: जय माँ अन्नपूर्णा राइस मिल, दक्षिण: बंधक भाग एवं श्री जादुराम की भूमि, पूर्व: रामानुज की भूमि, पश्चिम: श्री रामाधार की भूमि, भौतिक निरीक्षक- 21.966502, 82.635081	1) 07.06.2016 2) रू 1,13,58,598.14 + दिनांक 30.06.2025 से ब्याज प्रभावी 3) चौतिक कब्जा	रू 52.16 लाख / रू 5.21 लाख / रू 5.10 लाख / रू 0.51 लाख / रू 6.37 लाख / रू 0.63 लाख
12	उधारकर्ता-1) मेसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स, प्रोप: श्रीमती मधु अग्रवाल, उधारकर्ता-2) मेसर्स शारदा ट्रेडर्स, प्रोप: श्री लक्ष्य अग्रवाल एवं श्री अक्षत, उधारकर्ता-3) मेसर्स राधा कृष्ण फ्यूएल, प्रोप: श्री राकेश कुमार अग्रवाल उपाध्यक्षकों-4) श्रीमती कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय प्रहलाद राय अग्रवाल । शाखा- पेंड्रा, 610300, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री अविनाश सिन्हा, 9630007487	संपत्ति क्रमांक 1) फ्लैट एवं मशीनरी - खसरा नं 1655/3, जय माँ अन्नपूर्णा राइस मिल के पीछे, नवागढ़ रोड, **ग्राम-पिसौद**, तहसील - बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) में **फ्लैट का क्षेत्रफल 10900.00 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री योगेश साहू एवं श्री जादुराम। सीमाएँ: उत्तर: जय माँ अन्नपूर्णा राइस मिल, दक्षिण: बंधक भाग एवं श्री जादुराम की भूमि, पूर्व: रामानुज की भूमि, पश्चिम: श्री रामाधार की भूमि, भौतिक निरीक्षक- 21.966502, 82.635081	उधारकर्ता-1) 13(2) तिथि - 23-05-2023 एवं बकाया राशि रु 81,89,824.61 तथा उस पर ब्याज व अन्य शुल्क, उधारकर्ता-2) 13(2) तिथि 25-01-2023 एवं बकाया राशि रु 39,63,996.17 तथा उस पर ब्याज व अन्य शुल्क, उधारकर्ता-3) 13(2) तिथि 06-07-2023 एवं बकाया राशि रु 91,36,219.36 तथा उस पर ब्याज व अन्य शुल्क, उधारकर्ता-4) 13(2) तिथि 31-12-2022 एवं बकाया राशि रु 93,22,440.92 तथा उस पर ब्याज व अन्य शुल्क	रू 300.00 लाख / रू 30.00 लाख

नोट:- 1) कृपया आवासन राशि जमा करने से पूर्व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजो की पड़ताल सुनिश्चित करें
2) दस्तावेज सभी आवेदन संपत्तियों से संबंधित सभी जानकारी आवेदनों का संक्षिप्त सकल (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) सभी देता द्वारा देता प्रदान किया जाएगा

**महत्वपूर्ण नोट:- 1. पीएनबी किसी ऐसे तीसरे पक्ष को जिम्मेदार नहीं होगा, जो उसे बैंक के पोर्टल तक पहुंचने में सहायता करता है। इस कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा